-::निर्णय::-

दिनांक 23.09.2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री विजय कौशिक द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251, क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 4 एमओडी प.न. 81/260 मु.न. 42 कि.न. 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.265 हैक्टेयर तथा प.न. 81/261 मु. न. 43 कि.न. 4, 5, 6, 7, 8 कुल 1.265 हैक्टेयर में प्रार्थी के लिए आने जाने का कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज आराजी चक 4 एमओडी प.न. 81/260 मु.न. कि.न. 5 के पूर्वी तरफ व अप्रार्थी सं. 2 के हिस्सा तथा कब्जाकाश्त कि.न. 6 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाये जाने का निवेदन किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र नाजर सिंह, अजायब सिंह, जरनैल सिंह के पेश किये जिसमें कि.न. 5, 6 में से प्रार्थी का आवागमन होने का अंकन किया गया है।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2014 द्वारा प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता गुणावगुण आधार पर स्वीकृत कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई। उक्त निर्णय दिनांक 20.10.2014 की अपील सं. 130/2018 अनवानी कृपाराम बनाम, दारासिंह अपीलांट दारासिंह द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2019 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2014 को अपास्त करते हुये उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत नये सिरे से निर्णय पारीत करने हेतु इस न्यायालय को निर्देशित किया गया है।

प्रकरण पुनः इस न्यायालय में दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2/1 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा उपस्थित आये व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर याचित रास्ते पर अपनी असहमति व्यक्त की। जवाब प्रार्थना में अंकित किया गया है कि कि.न. 5, 6 से प्रार्थी आवागमन नहीं करता है अप्रार्थी सं. 1, 2 के पास केवल 0.126-0.126 हैक्टेयर भूमि है जिसमें एक कमरा भी बना हुआ है। इसलिए उक्त रास्ता की बजाय करनैल सिंह, जगसीर सिंह की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी सं. 3 ता 41 की तलबी जरिये समाचार पत्र करवाई गई, हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है व मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2013 से इस न्यायालय में विचारण है। धारा 251 ए जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए)

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

(12)

के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।
2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें अंकन किया गया है कि प्रार्थी वांछित रास्ता न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2014 को स्वीकृत किया गया जिसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ते का अमलदरामद हो चुका है। मौके पर कृपाराम आदि की खातेदारी काश्त भूमि है। प्रार्थी को अपनी आराजी के लिए आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा निकटतम रास्ता प.न. 81/260 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 5 से निकलता है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है व दोनों पक्षों को सुना जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प.न. 80/270 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता देने का निवेदन किया गया है जबकि तहसील रिपोर्ट अनुसार निकटतम रास्ता प.न. 81/260 के कि.न. 1 ता 5 में से निकलता है जहां से कि.न. 5, 6 होते हुये रास्ता निकटतम दूरी का बनता है जो 251 ए आरटीए के प्रावधानों के अन्तर्गत है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2024 आरआरटी पेज 1375 पेश किया जिसमें वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर रास्ता प्रदान किया जाना चाहिये। न्यायिक दृष्टांत 2022-23 (सप) आरआरटी 521, 2019 आरआरटी पेज 1098, 2017 आरबीजे पेज 24, 2019 आरआरटी पेज 285, 2016 आरआरटी पेज 440 जिसमें कि कोई अवरोध हो तो उसे हटाकर रास्ता दिया जाना चाहिये। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता से सुगमता से प्रार्थी अपनी जोत तक पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा के प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता से ही अपनी खातेदारी जोत तक प्रार्थी पहूंच सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 4 एमओडी प.न. 81/260 मु.न. कि.न. 5 के पूर्वी तरफ व अप्रार्थी सं. 2/1 के हिस्सा तथा कब्जाकाश्त कि.न. 6 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(प) के तहत् भूमि की निर्धारित डी.एल.सी दरों (राजस्थान स्टाम्प रुल्स 2004 के नियम 2, नियम 58 के अनुसार) की दुगुनी राशि देय होगी जिसकी गणना तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा करवाई

के कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

जायेगी। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (2) के तहत् अप्रार्थीगण की भूमि पर कोई फसल, खड़े वृक्ष, या संरचना यदि कोई हो तो, संबधित भू.अ.नि. इसका निर्धारण करके तहसीलदार को संज्ञान में लाकर तथा तहसीलदार, तहसील राजस्व लेखाकार के माध्यम से इनकी पूर्ण गणना करवाई जायेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु. रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जायेगा और मौके पर रास्ता चालू करवाया जायेगा। अप्रार्थीगण द्वारा मांग किए जाने पर उक्त राशि अप्रार्थीगण को दी जायेगी। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुदा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ